


लखनऊ/नगरीय विकास/अंश 1/2012  
31/5/2012  
31-5-12

उत्तर प्रदेश शासन  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग  
संख्या-890/69-1-2012-14(31)/2012 टी0सी0-1  
लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2012

कार्यालय - ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के मानव चालित रिक्शा चालकों को मोटर/ बैटरी तथा सोलर से चार्ज होने वाले अत्याधुनिक सिस्टम का रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने के संबंध में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को प्रशासनिक विभाग तथा राज्य नगरीय विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश (सूडा) को नोडल एजेंसी बनाते हुए उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु उच्चस्तरीय समिति का निम्नवत गठन किया जाता है:-


- |                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| 1. मुख्य सचिव                  | - | अध्यक्ष    |
| 2. औद्योगिक विकास आयुक्त       | - | उपाध्यक्ष  |
| 3. प्रमुख सचिव, वित्त          | - | सदस्य      |
| 4. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण    | - | सदस्य      |
| 5. प्रमुख सचिव, नियोजन         | - | सदस्य      |
| 6. प्रमुख सचिव, पर्यावरण       | - | सदस्य      |
| 7. प्रमुख सचिव, आवास           | - | सदस्य      |
| 8. प्रमुख सचिव, पर्यटन         | - | सदस्य      |
| 9. प्रमुख सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा | - | सदस्य      |
| 10. प्रमुख सचिव, नगर विकास     | - | सदस्य/सचिव |

  
(जावेद उस्मानी)  
मुख्य सचिव।

संख्या- 890(1)/69-1-2012-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/नियोजन/पर्यावरण/आवास/पर्यटन/वैकल्पिक ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नगर विकास अनुभाग-8,

  
आज्ञा से,  
(प्रवीर कुमार)  
प्रमुख सचिव।